

BOOK NO..... 01 SL NO. 80

Date... 17 SEP 2022

प्रपत्र-ख (2)

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर समर्थक द्वारा दिये गये वाला

शपथ-पत्र



मैं रामेश्वर मुख्य पार्षद पिता/पति रामेश्वर मुख्य

उमे 24 वर्ष, *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुख्य पार्षद

के वार्ड संख्या 19 मोहल्ला लालकुटी-मुख्य पार्षद पोस्ट घासांडा थाना 1312

जिला मुख्य पार्षद बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुख्य पार्षद

के वार्ड संख्या 19 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने

वाले अध्यर्थी निर्मला देवी का समर्थक हूँ

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) के प्रावधानों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत मुख्य पार्षद

के वार्ड 19 से *पार्षद/*उप मुख्य पार्षद/*मुख्य पार्षद पद के प्रस्तावक/समर्थक बने रहने के लिए अनहित नहीं हूँ:

*कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामला देश के भीतर या बाहर के किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

या

*मेरे ऊपर आपराधिक मामलों से संबंधित सूचनाएँ (सुस्पष्ट एवं पठनीय, क्रमांक देते हुए) निम्नवत हैं: ३०८

1. देश के भीतर या बाहर के न्यायालय का नाम जहाँ आपराधिक मामला लंबित है - ३०८
2. वाद संख्या - ३०८
3. आरोप की प्रकृति एवं लगाई धारा - ३०८

स्थान- मुख्य पार्षद
तारीख- 01-09-2022

The Deponent Identified
Advocate has Solemnly declared
before me

समर्थक का हस्ताक्षर

Raj Kumar
NOTARY, MUZAFFARPUR (BIHAR)

13/09/2022

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी परिषद/मुख्य पार्षद के समर्थक शपथ ली जाएगी।